12

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या-519-डब्लू0सी0/राविप-(औ0स0-19/94-1)(4)एफ/86 दिनांक 28.2.94

कार्यालय ज्ञाप

परिषदाज्ञा सं0-1172-डब्लू0सी0/राविप(औ0स0-19)/93-1)(4)एफ/86 दिनांक 10.12.93 के संशोधन में एतद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि (1) हृदय की बाईपास सर्जरी (2) वाल्व पुनर्स्थापन (3) पेस मेकर लगवाने (4) किडनी (गुर्दे) का पुनर्स्थापन (5) हृदय व मस्तिष्क की शल्य क्रिया आदि जैसी व्याधियों/रोगों के प्रदेश से बाहर स्वेच्छा से उपचार कराने पर उस पर आये व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित की जाय :-

(क) उपरोक्त रोगों के उपचार के लिये संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्रचलित व्यय के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित धनराशि एवं चिकित्सा में हुए वास्तविक व्यय के अन्तर की 75 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा की जायगी एवं शेष 25 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा वहन किया जायगा।

2. कैंसर रोग की चिकित्सा हेतु टाटा मेमोरियल हास्पिटल बम्बई को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये पुनः परिषद का अधिकृत चिकित्सालय माना जायेगा।

3. उक्त सुविधा परिषदादेश सं0-2088-एन0जी0-2/एस.ई.बी.(4)एन.जी.-2/78 दिनांक 24.5.78 सपठित परिषदादेश संख्या-2161-जी./राविप-1-3ए/78 दिनांक 16.5.80 में निहित शर्तों व प्रतिबन्धों सहित प्रदत्त सेवारत/सेवा निवृत्त सेवकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों को अनुमन्य है।

यह आदेश दिनांक 3.1.94 से प्रभावी होगें।

परिषद की आज्ञा से,

मारकण्डेय सिंह
सचिव

सं0-519(1)डब्लू0सी0/राविप-(औ0स0-19)/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद
2. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद
3. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद
4. समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ
6. मुख्य लेखा अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ

क्रमशः....2

7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद।

8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद।

9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ.प्र. राज्य वि.प.

10. उप-सचिव (विनियम)/पी.ओ. सेक्शन, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।

11. विद्युत परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारी/निजी सचिव/अनुभाग अधिकारी (प्रशासकीय एवं लेखा स्कन्ध)।

12. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद 10/12 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जगदीश कुमार) 28.2.94.

मुख्य कार्मिक अधिकारी